न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 32 सन 2022
अनवान :–

1. पूर्णाराम पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. गुडडी देवी पत्नी बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. सुमित पुत्र बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. बलवीर पुत्र बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रामप्रताप पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हजारीराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. प्यारेलाल पुत्र हजारीराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. कमलादेवी पत्नी भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. मोहरसिह पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. भंवरीदेवी पुत्री मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. सरस्वती देवी पुत्री मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
14. विमला पुत्री मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
15. महावीर पुत्र सावित्री जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
16. लालचन्द पुत्र सावित्री जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
17. मूर्ति पुत्री सावित्री जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
18. शारदा पुत्री सिलोचना जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
19. किरण पुत्री सिलोचना जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
20. कमलेश पुत्री सिलोचना जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
21. रेणु पुत्री बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
22. सरोज पुत्री बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
23. सुनिता पुत्री भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
24. शिशपाल पुत्री निराणाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारान के खाता संख्या 540/0 की कुल 26.084हैक्ट व रोही मोजा चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 18/39 की कुल 6.3250हैक्ट वादी एव प्रतिवादीगण व मृतक भंवरलाल पुत्र हजारीराम , मृतका सजना पत्नी मूलाराम के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्तजो कें नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण एवं मृतक भंवरलाल पुत्र हजारीराम एवं मृतका सजना पत्नी मूलाराम के नाम से दर्ज है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ,22 है एव सजना पत्नी मूलाराम के वारिसान में से पुत्र बेगराज एव पुत्री सावित्री एव सिलोचना का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,12 ता 21 है इसप्रकार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतीदीगण एक ही परिवारि के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 14 ता 23 वादी एव प्रतिवादीगण की बहने/पुत्री/भतीजी है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने

ड अधिकारी
नोहर

भाई/माता के वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादीगण ने परिवारिक समझौता किया जाकर भूमि काश्त की सुविधा व अवागमन के रास्ते को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे परिवारिक बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वर्तमान में वादी एव प्रतिवादीगण तथा मृतक भवंरलाल पुत्र हजारीराम एव मृतका सजना पत्नी मूलाराम है जिनके वारिसान 2 ता 4 ,12 ता 21 है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 13 ता 23 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई/माता/पिता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13, 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ,24 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 25 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारान के खाता संख्या 540/0 की कुल 26.084हैक्ट व रोही मोजा चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 18/39 की कुल 6.3250हैक्ट वादी एव प्रतिवादीगण व मृतक भंवरलाल पुत्र हजारीराम , मृतका सजना पत्नी मूलाराम के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्तजो कें नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण एवं मृतक भंवरलाल पुत्र हजारीराम एवं मृतका सजना पत्नी मूलाराम के नाम से दर्ज है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ,22 है एव सजना पत्नी मूलाराम के वारिसान में से पुत्र बेगराज एव पुत्री सावित्री एव सिलोचना का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,12 ता 21 है इसप्रकार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतिादीगण एक ही परिवारि के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 14 ता 23 वादी एव प्रतिवादीगण की बहने/पुत्री/भतीजी है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता के वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादीगण ने परिवारिक समझौता किया जाकर भूमि काश्त की सुविधा व अवागमन के रास्ते को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है

खण्ड अधिकारी
नोहर

उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारान के खाता संख्या 540/0 की कुल 26.084हैक्ट व रोही मोजा चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 18/39 की कुल 6.3250हैक्ट वादी एव प्रतिवादीगण व मृतक भंवरलाल पुत्र हजारीराम , मृतका सजना पत्नी मूलाराम के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि वर्तमान में वादी एव प्रतिवादीगण एवं मृतक भवरलाल व मृतक सजना के नाम से दर्ज है अर्थात वाद भूमि के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 14 ता 23 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 14 ता 23 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ,24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनसुार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 23 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 की कुल क्षेत्रफल 26.084 है0 भूमि व रोही मौजा 4 पीपीएम के खाता संख्या 18/39 के कुल 6.3250 है0 उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादीया संख्या 21 व 22 तथा मृतक भंवरलाल पुत्र हजारीराम व मृतका सजना पत्नी मूलाराम का नाम कलमजन किया जाकर मौजा चक 4 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 18/39 के प0 नं0 96/16 (21) के किला नं. 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 5/2 की 0.228 है0, 6 ता 20 की 3.795 है0, 21 के मिन उत्तर की 0.126 है0, 22 के मिन उत्तर की 0.127 है0, 23 के मिन उत्तर की 0.126 है0, 24 के मिन उत्तर की 0.127 है0, 25 के मिन उत्तर की 0.126 है0 व प0 नं0 95/24 (20) के किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.012 है0 कुल तादादी 5.652 है0 भूमि जिसमें से कमाण्ड– 5.667 है0 गै0 मु0 खाला– 0.025 है0 भूमि व बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/17 (135) के किला नं. 1/2 की 0.227 है0, 2 की 0.253 है0, 7 ता 9 की 0.759 है0 10/2 की 0.228 है0, 11/2 की 0.228 है0, 12 ता 14 की 0.759 है0 कुल 2.454 है0 उपरोक्त दोनो चकों की भूमि में से 5/8 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 5/16 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के संयुक्त रूप से दर्ज

खण्ड अधिकारी
नोहर

की जावे शेष 1/16 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के संयुक्त रूप से दर्ज की जावे तथा चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 18/39 के प0 नं0 96/16 (21) के किला नं. 21 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 22 के मिन दक्षिण की 0.126 है0, 23 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 24 के मिन दक्षिण की 0.126 है0, 25 के मिन दक्षिण की 0.127 है0 कुल 0.633 है0 कमाण्ड भूमि व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/9 (134) के किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 की 5.060 है0 व प0 नं0 96/1 (133) के किला नं. 15 ता 17, 24 व 25 की 1.265 है0 कुल 6.325 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के ब0 हि0 ब0 की जावे व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/1 (133) के किला नं. 18, 19, 22, 23 की 1.012 है0 व प0 नं0 96/9 (134) के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है0 भूमि व प0 नं0 96/2 (182) के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18 की 3.036 है0 व प0 नं0 96/10 (181) के किला नं. 1 ता 20 की 5.060 है0 प0 नं0 96/18 (180) के किला नं. 1/1 की 0.227 है0, 2 ता 4 की 0.759 है0, 7 ता 9 की 0.759 है0 10/2 की 0.228 है0, 11/2 की 0.228 है0 12 ता 14 की 0.759 है0, 18, 19 की 0. 506 है0, 20/2 की 0.228 है0 प0 नं0 96/17 (135) के किला नं. 17 ता 19 की 0.759 है0, 20/1 की 0.227 है0 21/1 की 0.228 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0 कुल तादादी 16. 040 है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/18 (180) के किला नं. 5, 6, 15 ता 17 की 1.265 है0 कुल 1.265 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 24 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। बैक यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पूर्णाराम पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 धर्मपाल पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. गुडडी देवी पत्नी बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. सुमित पुत्र बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. बलवीर पुत्र बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रामप्रताप पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हजारीराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. प्यारेलाल पुत्र हजारीराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. कमलादेवी पत्नी भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. मोहरसिह पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. भंवरीदेवी पुत्री मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. सरस्वती देवी पुत्री मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
14. विमला पुत्री मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
15. महावीर पुत्र सावित्री जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
16. लालचन्द पुत्र सावित्री जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
17. मूर्ति पुत्री सावित्री जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
18. शारदा पुत्री सिलोचना जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
19. किरण पुत्री सिलोचना जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
20. कमलेश पुत्री सिलोचना जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
21. रेणु पुत्री बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
22. सरोज पुत्री बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
23. सुनिता पुत्री भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
24. शिशपाल पुत्री निराणाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 357 सन 2022 निर्णय दिनांक– 13/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 की कुल क्षेत्रफल 26.084 है0 भूमि व रोही मौजा 4 पीपीएम के खाता संख्या 18/39 के कुल 6.3250 है0 उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादीया संख्या 21 व 22 तथा मृतक भंवरलाल पुत्र हजारीराम व मृतका सजना पत्नी मूलाराम का नाम कलमजन किया जाकर मौजा चक 4 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 18/39 के प0 नं0 96/16 (21) के किला नं. 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 5/2 की 0.228 है0, 6 ता 20 की 3.795 है0, 21 के मिन उत्तर की 0.126 है0, 22 के मिन उत्तर की 0.127 है0, 23 के मिन उत्तर की 0.126 है0, 24 के मिन उत्तर की 0.127 है0, 25 के मिन उत्तर की 0.126 है0 व प0 नं0 95/24 (20) के किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.012 है0 कुल तादादी 5.652 है0 भूमि जिसमें से कमाण्ड– 5.667 है0 गै0 मु0 खाला– 0.025 है0 भूमि व बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/17 (135) के किला नं. 1/2 की 0.227 है0, 2 की 0.253 है0, 7 ता 9 की 0.759 है0 10/2 की 0.228 है0, 11/2 की 0.228 है0,

उपखण्ड अधिकारी नोहर

12 ता 14 की 0.759 है0 कुल 2.454 है0 उपरोक्त दोनो चकों की भूमि में से 5/8 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 5/16 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के संयुक्त रूप से दर्ज की जावे शेष 1/16 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के संयुक्त रूप से दर्ज की जावे तथा चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 18/39 के प0 नं0 96/16 (21) के किला नं. 21 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 22 के मिन दक्षिण की 0.126 है0, 23 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 24 के मिन दक्षिण की 0.126 है0, 25 के मिन दक्षिण की 0.127 है0 कुल 0.633 है0 कमाण्ड भूमि व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/9 (134) के किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 की 5.060 है0 व प0 नं0 96/1 (133) के किला नं. 15 ता 17, 24 व 25 की 1.265 है0 कुल 6.325 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के ब0 हि0 ब0 की जावे व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/1 (133) के किला नं. 18, 19, 22, 23 की 1.012 है0 व प0 नं0 96/9 (134) के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है0 भूमि व प0 नं0 96/2 (182) के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18 की 3.036 है0 व प0 नं0 96/10 (181) के किला नं. 1 ता 20 की 5.060 है0 प0 नं0 96/18 (180) के किला नं. 1/1 की 0.227 है0, 2 ता 4 की 0.759 है0, 7 ता 9 की 0.759 है0 10/2 की 0.228 है0, 11/2 की 0.228 है0 12 ता 14 की 0.759 है0, 18, 19 की 0.506 है0, 20/2 की 0.228 है0 प0 नं0 96/17 (135) के किला नं. 17 ता 19 की 0.759 है0, 20/1 की 0.227 है0 21/1 की 0.228 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0 कुल तादादी 16.040 है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/18 (180) के किला नं. 5, 6, 15 ता 17 की 1.265 है0 कुल 1.265 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 24 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पूर्णाराम पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. गुड्डी देवी पत्नी बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. सुमित पुत्र बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. बलवीर पुत्र बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रामप्रताप पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हजारीराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. प्यारेलाल पुत्र हजारीराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. कमलादेवी पत्नी भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. मोहरसिह पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. भंवरीदेवी पुत्री मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. सरस्वती देवी पुत्री मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
14. विमला पुत्री मूलाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
15. महावीर पुत्र सावित्री जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
16. लालचन्द पुत्र सावित्री जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
17. मूर्ति पुत्री सावित्री जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
18. शारदा पुत्री सिलोचना जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
19. किरण पुत्री सिलोचना जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
20. कमलेश पुत्री सिलोचना जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
21. रेणु पुत्री बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
22. सरोज पुत्री बेगराज जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
23. सुनिता पुत्री भंवरलाल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
24. शिशपाल पुत्री निराणाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 357 सन 2022 निर्णय दिनांक– 13/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 की कुल क्षेत्रफल 26.084 है0 भूमि व रोही मौजा 4 पीपीएम के खाता संख्या 18/39 के कुल 6.3250 है0 उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादीया संख्या 21 व 22 तथा मृतक भंवरलाल पुत्र हजारीराम व मृतका सजना पत्नी मूलाराम का नाम कलमजन किया जाकर मौजा चक 4 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 18/39 के प0 नं0 96/16 (21) के किला नं. 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 5/2 की 0.228 है0, 6 ता 20 की 3.795 है0, 21 के मिन उत्तर की 0.126 है0, 22 के मिन उत्तर की 0.127 है0, 23 के मिन उत्तर की 0.126 है0, 24 के मिन उत्तर की 0.127 है0, 25 के मिन उत्तर की 0.126 है0 व प0 नं0 95/24 (20) के किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.012 है0 कुल तादादी 5.652 है0 भूमि जिसमें से कमाण्ड– 5.667 है0 गै0 मु0 खाला– 0.025 है0 भूमि व बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/17 (135) के किला नं. 1/2 की 0.227 है0, 2 की 0.253 है0, 7 ता 9 की 0.759 है0 10/2 की 0.228 है0, 11/2 की 0.228 है0,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

12 ता 14 की 0.759 है0 कुल 2.454 है0 उपरोक्त दोनो चकों की भूमि में से 5/8 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 5/16 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के संयुक्त रूप से दर्ज की जावे शेष 1/16 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के संयुक्त रूप से दर्ज की जावे तथा चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 18/39 के प0 नं0 96/16 (21) के किला नं. 21 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 22 के मिन दक्षिण की 0.126 है0, 23 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 24 के मिन दक्षिण की 0.126 है0, 25 के मिन दक्षिण की 0.127 है0 कुल 0.633 है0 कमाण्ड भूमि व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/9 (134) के किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 की 5.060 है0 व प0 नं0 96/1 (133) के किला नं. 15 ता 17, 24 व 25 की 1.265 है0 कुल 6.325 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के ब0 हि0 ब0 की जावे व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/1 (133) के किला नं. 18, 19, 22, 23 की 1.012 है0 व प0 नं0 96/9 (134) के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है0 भूमि व प0 नं0 96/2 (182) के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18 की 3.036 है0 व प0 नं0 96/10 (181) के किला नं. 1 ता 20 की 5.060 है0 प0 नं0 96/18 (180) के किला नं. 1/1 की 0.227 है0, 2 ता 4 की 0.759 है0, 7 ता 9 की 0.759 है0 10/2 की 0.228 है0, 11/2 की 0.228 है0 12 ता 14 की 0.759 है0, 18, 19 की 0.506 है0, 20/2 की 0.228 है0 प0 नं0 96/17 (135) के किला नं. 17 ता 19 की 0.759 है0, 20/1 की 0.227 है0 21/1 की 0.228 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0 कुल तादादी 16.040 है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 540/0 के प0 नं0 96/18 (180) के किला नं. 5, 6, 15 ता 17 की 1.265 है0 कुल 1.265 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 24 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर